



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19-10-2020

दिनांक 18/19-10-2020 को रात्रि थाना कृष्णानगर 01, गाजीपुर 01, मड़ियांव 01, कैसरबाग 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 उत्तरी।

गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

हसनगंज:-दिनांक 18-10-2020 को श्री अमरनाथ वर्मा प्रभारी निरीक्षक हसनगंज लखनऊ द्वारा अभि0 1-अहमद अली उर्फ शेट्टी पुत्र स्व0 शहादत खान निवासी 476/283 पुरानी बांसमण्डी थाना हसनगंज लखनऊ के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

भा0द0वि0

थाना ठाकुरगंज:-दिनांक 19-10-2020 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि श्री मुबारक अली पुत्र श्री मुश्ताक अली निवासी मकान नं0-448/820 घासमण्डी थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि एक रिक्शा चालक सिद्दीक उम्र करीब 42 वर्ष जो उक्त पते पर स्थित गौराज में रहता था, दिनांक 18-10-2020 को समय करीब 08.00 बजे रात्रि उक्त गौराज में मृत अवस्था में मिला है, जो ग्राम वैजीपुर थाना बेनीगंज हरदाई का निवासी है। इस सूचना पर एस0आई0 श्री एस0आई0 श्री सै0 अब्बास रजा मो0नं0-9415380802 द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक ई-रिक्शा चलाता था, जो दिनांक 18-10-2020 को समय करीब 02.00 दिन में गौराज में पड़े तख्त पर लेट गया था, कि समय करीब 08.00 बजे रात्रि देखा गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतक के 01 पुत्री व 02 पुत्र हैं।

थाना मोहनलालगंज:-दिनांक 19-10-2020 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री वासुदेव पुत्र स्व0 डोरी निवासी ग्राम जैतीखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि वादी का पुत्र दीपक जो भागूखेड़ा तिराहा पर बोरिंग कराने हेतु मिस्त्री लेने के लिए गया हुआ था। दिनांक 17-10-2020 को समय करीब 07.45 बजे सांय वादी का पुत्र दीपक अपने मित्र रोशन के साथ मोटर साइकिल नं0 यूपी 32 ईके 3116 से वापस घर आ रहा था कि तभी गांव से कुछ ही दूरी पर चाचा प्रिटिंग प्रेस के पास मोहनलालगंज की तरफ से आ रहे ट्रक चालक द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के पुत्र दीपक की उक्त मोटर साइकिल में टक्कर मार दिया, जिससे वादी के पुत्र दीपक उम्र करीब 35 वर्ष की मौके पर मृत्यु हो गयी तथा रोशन को गम्भीर रूप से घायल अवस्था में सीएचसी मोहनलालगंज में भर्ती कराया गया, जहाँ से डाक्टरों द्वारा रोशन को ट्रामा सेन्टर रेफर किया गया। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 586/2020 धारा 304ए/279/337/338/427 भादवि पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री राजवीर सिंह मो0नं0-9455817336 द्वारा की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक के दो बच्चे हैं मृतक मजदूरी करता था।